फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोंडेन्ट
श्री मुस्ताक खां पुत्र श्री हुसैनखां जाति मुसलमान निवासी जिला उद्योग केन्द्र के सामने सिरोही तहसील व जिला सिरोही।		आयुक्त नगरपरिषद सिरोही व अन्य 06

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 312 राजस्थान नगरपालिका अधि. 2009

मुकदमा नं. 19 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.03.2022	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 312 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत नगरपालिका मण्डल सिरोही द्वारा श्रीमती सणगारी देवी पत्नि श्री भीखाराम जाति भील निवासी भाटकडा सिरोही के पक्ष अहस्तान्तरणीय नियमन आवंटन / अधिकार पत्र संख्या 73 दिनांक 19.04.2001 व नगरपरिषद द्वारा उक्त अहस्तान्तरणीय पट्टे को हस्तान्तरणीय पट्टे में परिवर्तन करने का आदेश दिनांक 18.10.2021 को निरस्त कराने हेतु राज्य सरकार को अनुशंषा करने के लिए प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र को विचारार्थ ग्रहण करने के सम्बन्ध में Admit Stage पर प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मुनव्वर हुसैन की बहस सुनी गई, जिन्होने विधिक दृष्टांत डी.बी.सिविल रिट पिटीशन 5222 / 2019 रामप्रसाद सुथार बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 16.04.2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.02.2021 सीतादेवी बनाम राजस्थान सरकार में अंकित तथ्यों की ओर से ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध किया कि धारा 312 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय(जिला कलक्टर) को है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जावे। प्रार्थी के अधिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया। राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 8(क)()नियम डीएलबी / 8226 दिनांक 31.03.2010 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 327 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.8(84)एलएसजी(62)पार्ट / 540–784 दिनांक 05.02.1987 को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को धारा 327 के अन्तर्गत प्रस्तुत निगरानियों में सुनवाई करने हेतु अधिकृत किया है। 1. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग 2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग 3. निदेशक एवं शासन उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की उक्त अधिसूचना क्रमांक 8226 दिनांक 31.03.2010 [illegible] 327 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में प्रस्तुत निगरानियों [illegible] के अधिकार जिला कलक्टर से प्रत्यारित कर [illegible] राज. नगरपालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत प्रस्तुत [illegible] सुनवाई का अधिकार जिला कलक्टर को अब नहीं है। प्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र धारा 312 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत [illegible]त किया है तथा धारा 312 नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में नगरपालिका के किसी आदेश या संकल्प का निष्पादन या किसी काम का किया जाना जो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:18:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से किया जा रहा हो, जनता को हानि क्षोभ पहुंचा रहा है या जिसके पहुंचने की सम्भावना है या उससे शांतिभंग होता है या वह नगरपालिका के हित में अहितकर या विधिविरूद्ध है तो लिखित आदेश द्वारा निष्पादन को निलम्बित किया जाने या उस काम के किए जाने को प्रतिषिद्ध किए जाने का प्रावधान है। यह कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 312 के प्रार्थना पत्र धारा 327 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत प्रस्तुत निगरानियों के क्रम में ही नगरपालिका के किसी आदेश/संकल्प के निष्पादन को निलम्बित किए जाने हेतु प्रस्तुत होते है। चूंकि राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की उक्त अधिसूचना क्रमांक 8226 दिनांक 31.03.2010 के द्वारा धारा 327 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में प्रस्तुत निगरानियों में सुनवाई के अधिकार जिला कलक्टर से प्रत्याहरित कर लिए गए है। इस प्रकार, धारा 327 राज. नगरपालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत प्रस्तुत निगरानियों में सुनवाई का अधिकार जिला कलक्टर को अब नहीं है।

ऐसी स्थिति में धारा 312 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में सुनवाई हेतु कानूनन परिपोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 312 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को Admit Stage (विचारार्थ ग्रहण करने के स्तर) पर ही खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:18:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner